



इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

लखनऊ

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद संख्या - 819 वर्ष 2026

पुत्तू लाल सोनी

.....याची(गण)

बनाम

नगर पंचायत इकौना द्वारा अधिशासी अधिकारी

नगर पंचायत इकौना, जिला श्रावस्ती

.....प्रतिवादी(गण)

याचीगण के अधिवक्ता : राम प्रसाद द्विवेदी

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : अरविंद कुमार तिवारी

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

1. आज दाखिल किया गया पूरक शपथ पत्र रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद द्विवेदी और विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी, जिन्होंने एकमात्र प्रतिवादी की ओर से नोटिस स्वीकार किया है, को सुना गया।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने ग्राम न्यायालय, इकौना, जिला श्रावस्ती के समक्ष पुत्ती लाल सोनी बनाम नगर पंचायत के विषय में एक नियमित वाद संख्या 103/2015 दायर किया था। विपक्षी पक्षकारों ने दिनांक 29.5.2017 को लिखित बयान दाखिल किया था और वाद की कार्यवाही तब तक लंबित रही जब तक कि याचिकाकर्ता की ओर से दिनांक 8.7.2025 को प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति हेतु आवेदन नहीं दिया गया। उक्त आवेदन में यह कहा गया था कि लिखित बयान के माध्यम से कुछ नए तथ्य सामने लाए गए हैं जिनका उत्तर दिया जाना आवश्यक है और तदनुसार लिखित बयान के विरुद्ध एक प्रतिउत्तर शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति हेतु प्रार्थना की गई थी। विचारण न्यायालय ने दिनांक 2.9.2025 के आदेश द्वारा इस तथ्य पर विचार किया कि वाद की कार्यवाही वर्ष 2016 से लंबित थी और लिखित बयान 29.5.2017 को दाखिल किया गया था तथा याचिकाकर्ता ने 8 वर्ष से अधिक समय के बाद लिखित बयान का उत्तर दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। विचारण न्यायालय ने **शेख नूरुल हसन बनाम नहकपम इंद्रजीत सिंह, 2024 INSC 391** के मुकदमे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मत पर भी विचार किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि लिखित बयान का उत्तर दाखिल करना वादी का अधिकार नहीं है और संबंधित विचारण न्यायालय से अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक है, तथा दूसरी ओर विचारण न्यायालय यांत्रिक रूप से ऐसी अनुमति प्रदान नहीं कर सकता, बल्कि ऐसी अनुमति देने से पूर्व मुकदमे के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सकता है और वर्तमान मुकदमे के तथ्यों में आठ वर्षों का अत्यधिक विलंब था जिसे स्पष्ट नहीं किया गया था और तदनुसार विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उत्तर दाखिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने से इनकार कर दिया है।

4. विचारण न्यायालय के दिनांक 2.9.2025 के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती के समक्ष पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी और जिला न्यायाधीश, श्रावस्ती ने भी विचारण न्यायालय के दिनांक 2.9.2025 के आदेश की पुष्टि की। पुनरीक्षण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार किया कि वादी द्वारा वाद-पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि वह नगर पालिका का किराएदार था और दुकान उसे विधिवत आवंटित की गई थी तथा नगर पंचायत द्वारा उसे अवैध रूप से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा था, और इस संबंध में उसने व्यादेश की मांग की थी। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए कथनों के विपरीत, नगर पंचायत ने लिखित बयान में भी इस तथ्य की पुष्टि की थी कि वादी उनका किराएदार था और तदनुसार वे उसे विधिपूर्वक बेदखल करने का प्रयास कर रहे थे।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तरीके से यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों पर प्रतिउत्तर शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान याचिका में आक्षेपित दोनों आदेश विधि पर उचित विचार करने के बाद पारित किए गए हैं। उन्होंने तर्क दिया कि लिखित कथन 29.5.2017 को दाखिल किया गया था और 8 वर्ष के बाद याचिकाकर्ता द्वारा

प्रति-उत्तर शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगने हेतु आवेदन दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त आवेदन में 8 वर्ष के विलंब का कोई कारण नहीं दिया गया है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अनुमति देने से सही इनकार किया है।

7. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह तथ्य निर्विवाद हैं कि वाद की कार्यवाही याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी, जिसमें विपक्षी पक्षकारों ने उपस्थिति दर्ज कराई थी और 29.5.2017 को लिखित बयान दाखिल किया था। वाद की कार्यवाही लंबित रही और याचिकाकर्ता/वादी द्वारा लिखित बयान का उत्तर दाखिल करने की अनुमति हेतु आवेदन केवल 8.7.2025 को दाखिल किया गया। उक्त आवेदन में इस बात के अलावा कोई अन्य कारण नहीं बताया गया था कि लिखित बयान के माध्यम से कुछ नए तथ्य पेश किए गए थे।

8. हमने अनुमति हेतु आवेदन के साथ याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित उत्तर का अवलोकन किया है। हमने पाया कि संपूर्ण प्रस्तावित उत्तर में प्रतिवादियों द्वारा दाखिल लिखित बयान की अंतर्वस्तु का कोई खंडन नहीं है और तदनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर दाखिल करने का उद्देश्य लिखित बयान में लगाए गए आरोपों का प्रतिकार करना था। यदि नए तथ्य पेश किए जाने हैं, तो उन्हें केवल आवेदन के संशोधन द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि किसी आवेदन द्वारा। प्रतिउत्तर शपथ पत्र का उद्देश्य केवल लिखित बयान में दिए गए बयानों या आरोपों के खंडन तक ही सीमित होगा। तदनुसार, अनुमति के लिए लिए गए आधार भी पुष्ट नहीं होते हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त के अलावा, हम पाते हैं कि उत्तर दाखिल करने में हुए अत्यधिक विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। निःसंदेह, सि.प्र.सं. के आदेश 8 नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार, जो परवर्ती दलीलों का प्रावधान करता है, यह देखा गया है कि पक्षकारों को न्यायालय की अनुमति के बिना और न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों के अतिरिक्त, वाद-पत्र और लिखित बयान के अलावा कोई भी अभिवेदन दाखिल करने का अधिकार नहीं है। वर्तमान मुकदमे में, प्रतिउत्तर शपथ पत्र 8 वर्ष की अवधि के बाद दाखिल करने की अनुमति मांगी गई है और आवेदन में इस तरह के असाधारण विलंब के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

10. उपरोक्त के अलावा, हम पाते हैं कि प्रस्तावित प्रत्युत्तर में भी लिखित बयान में लगाए गए आरोपों का खंडन नहीं किया गया है। तदनुसार, उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें वर्तमान याचिका में आक्षेपित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली है। याचिका गुणदोष विहीन है और तदनुसार खारिज की जाती है।

11. यह देखते हुए कि उक्त कार्यवाही वर्ष 2015 से लंबित है, विचारण न्यायालय को इसे शीघ्रता से संपन्न करने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

मार्च 24, 2026

जे. के. दिनकर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।